

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/ 5531

दिनांक : - 11/06/2020

आदेश संख्या : 77/2019-20

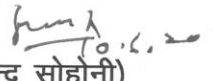
राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिंक नं.	मेरिट नं.		जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमितिकरण तिथि	स्थाईकरण तिथि
			नई	पुरानी					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	धर्मराज वैष्णव	12658	406	395	28.06.1989	17.07.2017 (मध्याह्न पूर्व)	16.07.2019	17.07.2019	17.07.2019
2	प्रतीक कुमार गुप्ता	10764	856	859	22.05.1986	03.02.2017 (मध्याह्न पूर्व)	02.07.2019	03.07.2019	26.07.2019
3	योगेश कुमार चौधरी	13072	1433	1344	06.03.1989	31.03.2018 (मध्याह्न पश्चात)	31.03.2018	01.04.2020	01.04.2020
4	दिव्या शर्मा	10959	1712	1792	30.11.1991	03.07.2017 (मध्याह्न पूर्व)	14.07.2019	15.07.2019	15.07.2019
5	देवेन्द्र कुमार गुप्ता	13055	2094	2018	21.01.1986	05.04.2018 (मध्याह्न पूर्व)	04.04.2020	05.04.2020	05.04.2020
6	जयनारायण मीणा	12296	2098	2020	03.07.1994	03.07.2017 (मध्याह्न पूर्व)	02.07.2019	03.07.2019	26.07.2019
7	पूजा जांगिड़	13023	2379	2293	22.01.1989	19.02.2018 (मध्याह्न पूर्व)	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020
8	ज्योति सोनी	12550	2605	2517	04.11.1991	03.07.2017 (मध्याह्न पूर्व)	02.07.2019	03.07.2019	26.07.2019
9	प्रीति शर्मा	10507	3217	3106	07.03.1988	05.7.2017 (मध्याह्न पूर्व)	04.07.2019	05.07.2019	05.07.2019

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 15 (1) FD/RULES/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादों के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/ 5531

दिनांक : - 11/06/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)